मरूमेघ
किसान ई – पत्रिका
www.marumegh.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
©2016 marumegh
ISSN:2456-2904

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

[1]मुकेश कुमार रेगर और [2]सुखदेव सिंह
कृषि रसायन एंव मृदा विज्ञान विभाग राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर (राज)
ऊद्यान विज्ञान विभाग, कृषि महाविधालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर

यह भारत सरकार कृषि मंन्त्रालय कृषि एंव सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रहीं एक योजना है। ईसका कार्यान्वयन सभी राज्य एव केन्द्र शासित सरकारो के कृषि विभागो के माध्यम से किया जाऐगा ।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उदेश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्वो कि स्थिति कि जानकारी देना है। और उन्हे उर्वरको की सही मात्रा के प्रयोग और आवश्यक मृदा सुधारो के समन्ध मे भी सलाह देना है। ताकी लम्बी अवधी के लिए मृदा स्वास्थ्य को कायम रखा जा सके

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

एसएचसी एक प्रिन्टेड रिपोर्ट है जिसे किसान को उसके प्रेत्येक जोतो के लिए दिया जाऐगा।12 पैरामिटरो जेसे एनपिके (मुख्य पोषकतत्व) ; सल्फर (गौण पोषकतत्व) जिंक फेरस और कॉपर मेग्निशियम बोरॉन (सुक्ष्म– पौषक तत्व); पिएच इसी ओसी (भौतिक पेरामिटर) के संबंध में उनकी सॉयल कि स्थिति निहीत होगी।ईसके आधार पर एसएचसी मे खेती के लिए अपेक्षित सॉयल सुधार और उर्वरक सिफारिशों को भी दर्शाया जाएगा।

एसएचसी का प्रयोग

कार्ड मे किसान के जोत की सॉयल पोषक तत्व स्थिती के आधार पर सलाह निहीत होगी । इसमे विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वो कि मात्रा के सबंध मे सिफारिशो को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा इसमे किसानो को उर्वरको और उसकी मात्रा के सबंध मे सलाह दि जाऐगी जिसकस उन्हे प्रयोग करना चाहिये और मृदा सुधारको की भी स्थिती के बारे में सलाह दि जाएगी जिसे उन्हे प्रयोग करना चाहिये जिससे की उपज का अनुकूल लाभ प्राप्त कीया जा सके।

प्रेत्यक वर्ष प्रेत्यक फसल के लिए एक कार्ड

यह 3 वर्ष के अन्तराल के बाद उपलब्ध कराया जाऐगा जो उस अवधी के लिए किसान की जोत के सॉयल हेल्थ की स्थिति को दर्शायेगा। अगले 3 वर्ष मे दिया गया एसएचसी उस अनुवर्ति अवधी के लिए सॉयल हेल्थ में परिवर्तनो को रिकार्ड करने मे समर्थ होगा।

नमुने लेने के मानक

सॉयल नमुने जिपीएस उपकरण ओर राजस्व मानचित्रो कि मदद से सिंचित क्षेत्र 2.5 है ओर वर्षा सिचिंत क्षेत्र मे 10 है की ग्रिड से लिए जाऐगें।

सॉयल नमुने कोन लेगा ?

राज्य सरकार उनके कृर्षी विभाग के स्टाफ या आउटसोर्स एजेंसी के स्टाफ के माध्यम से नमुने एकत्रित करेगी। राज्य सरकार क्षेत्रिय कृषी महाविधालयो अथवा साइंस कॉलेजो के विधार्थियो को भी शामिल कर सकती है।

सॉयल नमुन लेने का उचित समय

क्रमशः रबी ओर खरिफ फसलो की कटाई के बाद सॉयल नमुने सामान्यतः वर्ष मे 2 बार लिये जाते है। या जब खेत में कोई फसल ना हो।

किसान के खेत मे सॉयल नमुने एकत्रीत

सॉयल नमुने "V" आकार मे सॉयल की कटाई के उपरान्त 15–20 सेःमीः की गहराई से एक प्रसिक्षीत व्यक्ति द्वारा एकन्नीत किये जाऐगें। यह खेत के चार कोनो से ओर मध्य से एकन्नीत किये जाऐगें।और पुरी तरह से मिलाये जाऐगें। और इसमे से एक भाग नमुने के रूप मे लिया जाएगा।छाया वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाऐगा। चयनित नमुने को बेग में बंद किया जाएगा और कोड नम्बर दिया जाएगा। इसके उपरान्त इसे विश्लषण के लिए सॉयल जाचॅ प्रयोगशाला मे भेज दिया जाऐगा।

सॉयल जाचॅ प्रयोगशाला

यह प्रश्न संः 2 के उतर मे दर्शाया गये अनुसार 12 पेरामिटरो पर सॉयल नमुने जाचॅ के लिए एक सुविधा है। यह सुविधा स्थायी है। मोबाईल प्रयोगशाला या दुरस्थ क्षेत्रो मे प्रयोग किये जाने हेतु पोर्टेबल भी होसकती है।

सॉयल नमुने कि जाचॅ

सॉयल नमुने निम्नलिखीत तरिके सहमत किये गये सभी 12 पेरामिटरो पर अनुमोदित मानको के अनुसार जाचॅ किये जाऐगें।

(1) कृषि विभाग के स्वामित्व मे एसटीएल पर और उनके स्वयं के स्टाफ के द्वारा।

(2) कृषि विभाग के स्वामित्व मे एसटीएल पर परन्तु बाह्य सोर्स एजेसीं के स्टॉफ द्वारा।

(3) बाह्य सोर्स एजेसीं स्वामित्व मे एसटीएल पर और उनके स्टाफ के द्वारा।

(4) केविके ओर एसएयु सहीत आईसीएआर संस्थानो पर।

(5) एक प्रोफेसर /वेज्ञानिक के पर्यवेक्षण के तहत विज्ञान कॉलेजो / विश्सपिधालयो की प्रयोगशालाओं पर विधार्थियों द्वारा।

सॉयल हेल्थ परिक्षण कि गुणवत्ता

राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक प्रयोगशालाओं के परिणामों के विश्लेसण एवं प्रमाणिकरण हेतु एक वर्ष मे जॉचे गये कुल नमुनो का 1 रेफरल प्रयोगशाला मे भेजा जाएगा। राज्य सरकारो को आवश्यक रैफरल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जायेगी।